	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/3/24	अधिवक्ता उप./ अधिवक्ता को साक्ष्य वादी पेश करने हेतु दिनांक 1/8/2023 से लगातार अवसर दिये गये चुके है, परंतु अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक साक्ष्य वादी पेश करने में विफल रहने से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सा०वाद पत्र 88, 188 आर०टी० एक्ट मा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सत्य शुमार होकर अंबर से मा० धो वारतामील / तकमील दाखिल दफ्तर हो। SD० SDJA7	